कृषि विभाग का नागरिक अधिकार पत्र

हमारा उद्देश्य

राज्य की अधिसंख्य जनसंख्या कृषि पर निर्भर है। कृषि उत्पादन में बढ़ोतरी के लिए नवीनतम कृषि तकनीकी को किसानों तक पहुंचाने के लिए कृषि विभाग प्रयासरत है। राज्य के किसानों को उन्नत बीज, जैविक उर्वरक, पौध संरक्षण उपकरण, कृषि यंत्र एवं जल की बचत के लिए सिंचाई पाईपलाइन, खैत तलाई व डिग्गी सहित विभिन्न कल्याणकारी योजनाऐं कृषि विभाग द्वारा संचालित की जा रही है। इन सबका उद्देश्य कृषि उत्पादन में बढ़ोतरी के साथ-साथ किसानों की आर्थिक िस्थ्ति सुदृढ़ करना है, ताकि उनके जीवन स्तर में सुधार किया जा सके।

हमारी वचनबद्धता

कृषि विकास की इन योजनाओं एवं तकनीक का लाभ जरूरतमंदों को समय पर सुलभ हो सके तथा विभाग की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता, संवेदनशीलता तथा जवाबदेही परिलक्षित हो, इस आशय से कृषि विभाग द्वारा नागरिक अधिकार पत्र तैयार किया गया है। राज्य मे कृषि के चहुमुखी विकास के लिए कृषि विभाग द्वारा क्रियान्वित की जा रही विभिन्न योजनाओं व कार्यक्रमों की जानकारी विभाग के नागरिक अधिकार पत्र में दी गई है। विभागीय योजनाओं का त्वरित लाभ उठाने के लिए प्रक्रियागत विभिन्न चरण, आवेदन प्रस्तुत करने का स्थान, चयन प्रक्रिया, समयावधि, निस्तारण प्रक्रिया, निर्धारित शुल्क, देय लाभ आदि का विवरण दिया गया है।

इन योजनाओं में वित्तीय प्रावधानानुसार/लक्ष्यानुसार कृषकों को लाभान्वित किया जाता है। राज्य सरकार द्वारा गुणावगुण के आधार पर समय-समय पर प्रक्रिया, सहायता राशि आदि में परिवर्तन भी किये जा सकते हैं।

कृषि विभाग का नागरिक अधिकार पत्र

कृषि विभाग खेती की उन्नत व नई तकनीक को किसानों तक पहुंचाने तथा उसी के अनुसार उच्च गुणवत्ता के बीज, खाद व पौध संरक्षण रसायन आदि की व्यवस्था में प्रयासरत है।

गतिविधि का नाम	गतिविधि का विवरण	निस्तारण के लिए नोडल अधिकारी/ कर्मचारी	निस्तारण अवधि (अधिकतम)	निर्धारित अवधि में समाधान न होने पर अभ्यावेदन हेतु कहां सम्पर्क करें
1	2	3	4	5
खेती की तकनीकी जानकारी प्राप्त करने का अधिकार	कृषि पर्यवेक्षक मुख्यालय पर प्रत्येक गुरूवार को किसान सेवा केन्द्र पर तथा गुरूवार के अलावा कृषकों से सम्पर्क के दौरान जानकारी/समस्या का समाधान प्राप्त करने का अधिकार	कृषि पर्यवेक्षक	तत्काल	सहायक निदेशक कृषि (विस्तार),
	कृषि पर्यवेक्षक के स्तर पर जानकारी/समस्या का समाधान न हो पाने की दशा में विभाग के उच्च स्तर के कार्यालयों से भी तकनीकी जानकारी/समस्या का समाधान	सहायक निदेशक कृषि (विस्तार)	3 दिवस	उप निदेशक कृषि (विस्तार), जिला परिषद
	कषकों को कृषि तकनीक से संबंधित समस्याओं के समाधान एवं जानकारी के लिए नेहरू सहकार भवन, जयपुर में IFFCO द्वारा प्रथम स्तर का किसान कॉल सेन्टर स्थापित किया गया है जिसके नि:शुल्क दूरभाष संख्या 18001801551 पर आने वाले फोन का उत्तर दिया जाता है। द्वितीय स्तर का किसान कॉल एवं परामर्श केन्द्र पंत कृषि भवन, जयपुर में संचालित है जिसके दूरभाष संख्या 0141-5116242 है।	प्रभारी, किसान कॉल सेन्टर	तत्काल	उप निदेशक कृषि (सूचना) कृषि आयुक्तालय
किसानों के लिए सुविधाऐं				
(1) मिट्टी एवं पानी की जांच	मुख्य पोषक तत्वों की जांच का शुल्क 05 रूपये। समग्र जांच का शुल्क 05 रूपये प्रति नमूना है। पानी की जांच का शुल्क 05 रूपयें प्रति नमूना। नमूना कृषि पर्यवेक्षक अथवा सीधे प्रयोगशाला को देवें।	प्रयोगशाला प्रभारी	एक माह (फसल मौसम के दौरान अधिक नमूने आने पर नमूनो की संख्या के अनुसार)	उप निदेशक कृषि, (विस्तार), जिला परिषद

1	2	3	4	5
(2) जिप्सम	तिलहनी एवं दलहनी फसलों में पोषक तत्वों के लिये तथा क्षारीय मिट्टी सुधार हेतु अनुदान पर जिप्सम उपलब्ध। राज्य में समान दर रूपये 700/- प्रति मैं. टन अधिकतम खुदरा मूल्य पर उपलब्ध कराया जा रहा है। मांग कृषि पर्यवेक्षक को देवें। क्षारीय मिट्टी की जांच के नमूनों का शुल्क-05 रूपये।	कृषि पर्यवेक्षक, प्रयोगशाला प्रभारी	एक माह	सहायक निदेशक कृषि (विस्तार)
(3) पोषक तत्व प्रबन्ध	जीवाणु खाद के पैकिट, सूक्ष्म तत्व प्रदर्शन और समन्वित पोषक तत्व प्रदर्शन के लिए सहायता। मांग/आवेदन पत्र कृषि पर्यवेक्षक को देवें।	कृषि पर्यवेक्षक,	एक माह	सहायक निदेशक कृषि (विस्तार)
(4) बीज उत्पादन कार्यक्रम	बीज उत्पादन के लिए अपने क्षेत्र के राजस्थान राज्य बीज निगम के कार्यालय में आवेदन करें।	क्षेत्रीय प्रबन्धक रा.रा. बीज निगम	एक माह	महाप्रबन्धक, रा.रा. बीज निगम लि0, जयपुर, दूरभाष, 2227365
(5) बीज की जांच	बीज की अंकुरण क्षमता, शुद्धता की जांच की सुविधा। शुल्क कृषकों के लिए 20 रूपये। बीज उत्पादन एजेन्सी के लिए 100 रूपये तथा निजी बीज विक्रेताओं के लिए 100 रूपये प्रति नमूना है। जांच दुर्गापुरा (जयपुर), श्रीगंगानगर, चित्तौड़गढ़, अलवर, जोधपुर व कोटा स्थित बीज परीक्षण प्रयोगशालाओं में करवायें।	प्रभारी, बीज परीक्षण प्रयोगशाला	एक माह	संयुक्त निदेशक कृषि, (वनस्पति) दुर्गापुरा, जयपुर
(6) मिनिकिट	उन्नत किस्म के बीज के मिनिकिट का वितरण। चयन हेतु पात्र महिलाओं की सूची कृषि पर्यवेक्षक द्वारा संबंधित ग्राम पंचायत के सरपंच व अन्य निर्वाचित जन प्रतिनिधियों के साथ विचार-विमर्श कर बनायी जायेगी। अनुमोदित सूची अनुसार कृषकों को मिनिकिटस का नि:शुल्क वितरण किया जायेगा।	सहायक निदेशक कृषि (विस्तार)	15 दिन	उप निदेशक कृषि, (विस्तार) जिला, परिषद
(7) आदान की गुणवत्ता	बीज, उर्वरक, पौध संरक्षण रसायन, जीवाणु खाद तथा बायोएजेन्ट की गुणवत्ता में किसी प्रकार की शंका होने पर अपने क्षेत्र के सहायक निदेशक कृषि (विस्तार) के कार्यालय में लिखित में शिकायत करें।	सहायक निदेशक कृषि विस्तार,	7 दिन	उप निदेशक कृषि, (विस्तार) जिला परिषद

1	2	3	4	5
(8) जल बजट	वर्षा जल संग्रहण हेतु खेत तलाई, जल हौज, सिंचाई पाईप लाइन, कपास में ड्रिप सैट एवं नहरी क्षेत्रों में डिग्गी कम फव्वारा योजनाओं के लिए सहायता। क्षेत्र के कृषि/उद्यान कार्यालय में आवेदन पत्र जमा करवा कर रसीद प्राप्त करें। अनुदान पहले आओ पहले पाओ के आधार पर दिया जावेगा।	सहायक निदेशक कृषि, विस्तार,	4 माह	उप निदेशक कृषि, (विस्तार) जिला परिषद
(9) पौध संरक्षण	फसलों में कीड़े-बीमारी नियन्त्रण हेतु पौध संरक्षण रसायन, पौध संरक्षण यंत्र खरीदने तथा समन्वित नाशीजीव प्रबन्धन/प्रदर्शन के लिए सहायता।	उपनिदेशक कृषि, (विस्तार) जिला परिषद	15 दिन	संयुक्त निदेशक कृषि (विस्तार)
(10) फसल प्रदर्शन	उन्नत तरीकों के फसल प्रदर्शनों के लिए उन्नत बीज, उर्वरक, दवा खरीदने के लिये सहायता। कृषि पर्यवेक्षक द्वारा प्रदर्शन आवंटन हेतु संबंधित ग्राम पंचायत के सरपंच एवं अन्य निर्वाचित जन प्रतिनिधियों के साथ विचार-विमर्श कर पात्र कृषकों का चयन कर सूची तैयार की जावेगी।	सहायक निदेशक, कृषि (विस्तार),	एक माह	उप निदेशक कृषि, (विस्तार) जिला परिषद
(11) कृषि यन्त्र	बैल चालित, हाथ से चलने वाले, ट्रेक्टर चलित तथा शक्ति चलित कृषि यंत्रो पर आर्थिक सहायता के लिए आवेदन अपने क्षेत्र के सहायक कृषि अधिकारी को करें।	उपनिदेशक कृषि (विस्तार) जिला परिषद	एक माह	संयुक्त निदेशक कृषि (विस्तार)
(12) प्रशिक्षण/ प्रोत्साहन	कृषकों के लिए प्रशिक्षण का प्रावधान है। कृषकों का चयन कृषि पर्यवेक्षक के माध्यम से किया जाता है। इच्छुक कृषक कृषि पर्यवेक्षक से संपर्क कर सकते है।	कृषि पर्यवेक्षक	एक माह	उप निदेशक, कृषि (विस्तार) जिला परिषद
(13) आदानों की बिक्री के लिए अनुज्ञापत्र प्राप्त करना	बीज, उर्वरक तथा पौध संरक्षण रसायनों के लिए अनुज्ञापत्र हेतु जिले के उपनिदेशक कृषि (विस्तार) जिला परिषद /सहायक निदेशक, कृषि (विस्तार) /जिला विस्तार अधिकारी को आवेदन करें। दूरदराज के गांवों में जहां विक्रेता नही है वहां एक साथ दस मैट्रिक टन उर्वरक तथा दस क्विंटल बीज की स्टॉक सीमा तक व्यापार के लिये अनुज्ञापत्र तथा शुल्क आवश्यक नहीं है, किन्तु बीज अधिनियम तथा उर्वरक नियंत्रण आदेश के अन्य प्रावधानों का पालन करना होगा।	उप निदेशक कृषि (विस्तार) जिला परिषद /सहायक निदेशक कृषि विस्तार/जिला विस्तार अधिकारी	एक माह	आयुक्त, कृषि विभाग

1	2	3	4	5
	उर्वरक व बीज के राज्यस्तरीय अनुज्ञापत्र के लिए संयुक्त निदेशक कृषि (आदान) तथा पौध संरक्षण रसायनों के लिए संयुक्त निदेशक कृषि (पौध संरक्षण) कृषि आयुक्तालय, जयपुर में आवेदन करें।	संयुक्त निदेशक कृषि (आदान), संयुक्त निदेशक कृषि (पौध संरक्षण) कृषि आयुक्तालय	एक माह	आयुक्त कृषि, राजस्थान, जयपुर
(14) आदान खरीद का बिल प्राप्त करने का अधिकार	बीज, खाद, पौध संरक्षण रसायन खरीदते समय बिल प्राप्त करने का अधिकार है। बिल पर किसान का नाम, गांव तथा खरीदी गई वस्तु का विवरण अंकित होगा, जैसे पौध संरक्षण रसायन का बैच नम्बर, अवधिपार तिथि तथा बीज की किस्म एवं लॉट नम्बर। विक्रेता द्वारा बिल न दिये जाने पर कृषि विभाग के कार्यालय में लिखित शिकायत करें।	उप निदेशक कृषि (विस्तार) जिला परिषद्	15 दिन	संयुक्त निदेशक कृषि (विस्तार)

नोट:-

1. कृषि योजनाओं में अनुदान सहायता का लाभ प्राप्त करने के लिए मुख्यत: निर्धारित प्रपत्र में आवेदन पत्र, कृषकों के नाम जमीन के स्वामित्व सम्बन्धी प्रमाण (कृषि जोत पासबुक, जमाबंदी आदि) जल स्त्रोत का प्रमाण पत्र (जल सम्बन्धी गतिविधियों के लिए) व क्रय किये गये आदान/यंत्र/उपकरण आदि के बिल। आवेदन पत्र कृषि विभाग की वेब साइट या कार्यालय में उपलब्ध।
2. अनुदान सहायता वर्ष विशेष में योजनान्तर्गत उपलब्ध प्रावधानों के अनुसार देय होगी।
3. चम्बल सिंचित क्षेत्र व इ.गा.न.प. क्षेत्र में कृषि विभाग की गतिविधियों का लाभ उठाने हेतु जिला विस्तार अधिकारी के कार्यालय में आवेदन करें।

निर्धारित अवधि में समाधान/निपटारा नहीं होने पर किसकी शिकायत कहां करें।

क्र.सं.	अधिकारी/प्रभारी का नाम	शिकायत कहां की जावे	निपटारे की समयावधि	उक्त स्तर पर सुनवाई नहीं हो तो कार्यालय का नाम जहां नागरिक आवेदन कर सकता है।
1	कृषि पर्यवेक्षक/सहायक कृषि अधिकारी	सहायक निदेशक कृषि (वि.)	एक माह	मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद
2	सहायक निदेशक कृषि (वि.)	मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद	एक माह	जिला कलक्टर/संयुक्त निदेशक कृषि (वि.)
3	उप निदेशक कृषि (वि.) जिला परिषद	संयुक्त निदेशक कृषि (वि.)	एक माह	आयुक्त कृषि, राजस्थान, जयपुर
4	संयुक्त निदेशक कृषि	आयुक्त कृषि, राजस्थान, जयपुर	एक माह	-

जन अभाव अभियोग-

जन अभाव अभियोग/जन समस्याओं के निराकरण के लिए विभाग में जन अभाव अभियोग निराकरण प्रकोष्ठ कार्यरत है। इस प्रकोष्ठ को अभियोग प्राप्त होने पर समस्याओं का यथाशीघ्र निस्तारण किया जाता है। कृषि आयुक्तालय स्तर पर इस प्रकोष्ठ के **नोडल ऑफिसर संयुक्त निदेशक, कृषि (प्रशासन) कमरा नं. 252, पंत कृषि भवन, जयपुर दूरभाष नं0 0141-5116233 (कार्यालय)** है। जिला स्तर पर अभियोगों व जन समस्याओं का निस्तारण सम्बन्धित जिलों के उप निदेशक कृषि (विस्तार) जि. प. द्वारा सम्पादित किया जाता है।

सूचना का अधिकार-

राज्य स्तर	
1 लोक सूचना अधिकारी	अपर निदेशक, कृषि (आदान) कृषि आयुक्तालय
2 सहायक लोक सूचना अधिकारी	उप निदेशक, कृषि (सूचना) कृषि आयुक्तालय
जिला स्तर	
1 लोक सूचना अधिकारी	संबंधित जिले के उपनिदेशक कृषि (विस्तार) जिलापरिषद
2 सहायक लोक सूचना अधिकारी	सहायक निदेशक कृषि (विस्तार)

नागरिक अधिकार पत्र के प्रावधानों की पालना सम्बन्धित कार्मिक द्वारा सुनिश्चित की जाएगी एवं उल्लंघन करने पर नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।